न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2020 अपील

1. राधा पुत्री मोतीलाल रेगर निवासी जालमपुरा तहसील जहाजपुर
2. चन्द्रकला पुत्री मोतीलाल रेगर निवासी जालमपुरा तहसील जहाजपुर

–अपीलार्थी

बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्व तहसीलदार जहाजपुर नामान्तरकरण संख्या 5170 दिनांक 10.03.2019

उपस्थित –

1.श्री शंभूदास वैष्णव अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

2.श्री दिनेश तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.09.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर के नामान्तरकरण संख्या 5170 दिनांक 10.03.2019 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जालमपुरा में स्थित आराजी संख्या 165 रकबा 4.05 बीघा जिसमें खातेदार मोतीलाल रेगर का देहान्त हो चुका हैं। तहसीलदार जहाजपुर ने विरासतन इन्तकाल नम्बर 5170 दिनांक 10.03.2019 को खोल दिया जिसमें सहवन से राधा की जगह दुर्गा लिख दिया गया एवं चन्द्रकला की जगह चकोला लिख दिया गया जो गलत हैं। उक्त आराजी में अपीलार्थी अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। जिसमें दुर्गा की जगह राधा व चकोला की जगह चन्द्रकला लिखना आवश्यक व न्यायोचित हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आराजी संख्या 165 रकबा 4.05 बीघा भूमि के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 5170 दिनांक 10.03.2019 के आदेश को निरस्त कर दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.04.2020 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रकरण मे उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विरासतन इन्तकाल नम्बर 5170 दिनांक 10.03.2019 में सहवन से राधा की जगह दुर्गा लिख दिया गया एवं चन्द्रकला की जगह चकोला लिख दिया गया जो गलत हैं। जिसमें दुर्गा की जगह राधा व चकोला की जगह चन्द्रकला लिखना आवश्यक व न्यायोचित हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आराजी संख्या 165 रकबा 4.05 बीघा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भूमि के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 5170 दिनांक 10.03.2019 के आदेश को निरस्त कर दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि नामान्तरकरण सं. 5170 फैसल किये जाते समय अपीलाण्ट ने सम्पूर्ण दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किये। जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 5170 दिनांक 10.03.2019 को पटवारी हल्का रिपार्ट अनुसार सही तौर फैसल किया गया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट की सुनवाई एवं दस्तावेज की जांच परख उक्त नामान्तरकरण संख्या 5170 का दिनांक 10.03.2019 को फैसल किया गया जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं। नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को मध्येनजर रखते हुये प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

न्यायालय अति. कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले नामान्तरकरण सं0 5170 निर्णय दिनांक 10.03.2019 के क्रम में आंशिक स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण सं. 5170 पर तहसीलदार जहाजपुर के आदेश दिनांक 10.03.2019 को अपास्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार जहाजपुर को नामान्तरकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर समस्त दस्तावेजात की जांच परख कर पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही करे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा